बिहार सरकार
कृषि विभाग

Mail/Fax पत्र संख्या–3/कृ०बजट आवंटन–24/2013–233(आवंटन) /कृ0, पटना, दिनांक 10-02-2014

प्रेषक,

रामजी सिंह,
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

जिला पदाधिकारी,
सिवान/नालन्दा।

विषय : **खरीफ 2013 में अनावृष्टि के कारण उत्पन्न आपातकालीन स्थिति में वर्ष 2013–14 में सिंचाई के लिए डीजल अनुदान मद में व्यय हेतु कुल ₹3,27,79,223 (तीन करोड़ सत्ताइस लाख उन्नासी हजार दो सौ तेइस रू०) मात्र की राशि का आवंटन ।**

महाशय,

उपर्युक्त विषयक विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या–491 दिनांक–31.01.2014 द्वारा खरीफ 2013 में अनावृष्टि के कारण उत्पन्न आपातकालीन स्थिति में वर्ष 2013–14 में सिंचाई के लिए डीजल अनुदान मद में व्यय हेतु कुल ₹3,27,79,223 (तीन करोड़ सत्ताइस लाख उन्नासी हजार दो सौ तेइस रू०) मात्र की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति हुई है। व्यय हेतु कुल ₹3,27,79,223 (तीन करोड़ सत्ताइस लाख उन्नासी हजार दो सौ तेइस रू०) मात्र संलग्न विवरणी के अनुसार राशि आवंटित की जाती है।

2. उपरोक्त **₹3,27,79,223 (तीन करोड़ सत्ताइस लाख उन्नासी हजार दो सौ तेइस रू०) मात्र** का व्यय बजटशीर्ष–2401–फसल कृषि कर्म–उप मुख्यशीर्ष–00–लघुशीर्ष–109–विस्तार तथा किसानों को प्रशिक्षण–मांग सं०–1–उपशीर्ष–0103–बाढ़ सुखाड़ की आपातकालीन योजना–विपत्र कोड–P2401001090103, राज्य योजना स्कीम कोड–AGR-56 83, विषयशीर्ष–33 01–सब्सिडी में वित्तीय वर्ष, 2013–14 में मूल तथा द्वितीय अनुपूरक आगणन में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

3. यह राशि वित्त विभाग के पत्रांक–2561 वि0 (2) दिनांक–17.04.98 एवं पत्रांक–7857 दिनांक–31.07.2013 के आलोक में दी जा रही है।

4. इस योजना के स्वीकृत्यादेश में निहित शर्त्तों/निर्देशों के आलोक में ही निकासी एवं व्यय किया जाय, जिसकी पूर्ण जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

5. व्यय के तुरत बाद टी0 भी0 नं0 के साथ व्यय विवरणी अधोहस्ताक्षरी को निश्चित रूप से उपलब्ध करा दी जाय।

विश्वासभाजन,

(रामजी सिंह) 10/2/14
सरकार के संयुक्त सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक 233(आवंटन) /कृ0, पटना, दिनांक 10-02-2014

प्रतिलिपि : विवरणी सहित महालेखाकार, बिहार पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. विवरणी सहित संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

10/2/14
सरकार के संयुक्त सचिव।

/कृ0, पटना, दिनांक 10-02-2014

ज्ञापांक 233 (आवंटन)

प्रतिलिपि : वित्त विभाग, बिहार, पटना/सभी संबंधित प्रमण्डलीय आयुक्त/कृषि निदेशक, बिहार, पटना/निदेशक, पी0 पी0 एम0, बिहार, पटना/संयुक्त कृषि निदेशक, (योजना) कृषि विभाग बिहार, पटना/सभी संबंधित प्रमंडलीय संयुक्त कृषि निदेशक/उप कृषि निदेशक, (प्रसार)–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, कृषि विभाग/कृषि निदेशालय, बिहार, पटना/नोडल पदाधिकारी, आपदा प्रबंधन, कृषि विभाग–सह–उप कृषि निदेशक, (सांख्यिकी)/प्रशाखा पदाधिकारी योजना (सचिवालय/ निदेशालय), कृषि विभाग, बिहार, पटना को विवरणी सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. विवरणी सहित उप कृषि निदेशक, (सूचना), बिहार, पटना/आई० टी० मैनेजर, कृषि विभाग, बिहार, पटना को विभागीय बेवसाईट पर डालने एवं संबधित पदाधिकारी को ई–मेल करने हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव।

बिहार सरकार,
कृषि विभाग।

खरीफ 2013 में अनावृष्टि के कारण उत्पन्न आपालकालीन स्थिति में वर्ष 2013–14 में सिंचाई के लिए डीजल अनुदान हेतु विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या–491 दिनांक–31.01.2014 का आवंटन विवरणी।

विपत्र कोड–**P2401001090103**

(राशि रूपये में)

कम सं0	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का नाम	कुल स्वीकृत राशि	कुल आवंटित राशि
1	2	3	4
1	जिला पदाधिकारी, सिवान।	**1,30,45,818**	**1,30,45,818**
2	जिला पदाधिकारी, नालंदा।	**1,97,33,405**	**1,97,33,405**
कुल		**3,27,79,223**	**3,27,79,223**

कुल–(तीन करोड़ सत्ताइस लाख उनासी हजार दो सौ तेइस रू० मात्र)

सुमन

13/02/14

(रामजी सिंह)
सरकार के संयुक्त सचिव
कृषि विभाग, बिहार, पटना।